संसद के समक्ष अभिभाषण — 17 फरवरी 2003

लोक सभा	-	तेरहवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री भैरों सिंह शेखावत
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री अटल बिहारी वाजपेयी
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री मनोहर जोशी

माननीय सदस्यगण,

मैं, वर्ष 2003 में, संसद के इस प्रथम सत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बजट सत्र आरंभ होने के अवसर पर संसद के समक्ष यह मेरा पहला संबोधन है।

पहले, मैं राज्य सभा के और साथ ही लोक सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत करता हूं। मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों को बधाई देता हूं जिन्होंने अक्तूबर में हुए विधान सभा चुनावों में, गोली के खतरे का जवाब मत की ताकत से दिया। पूरा राष्ट्र अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में भी समर्पित सेवा करने वाली हमारी सशस्त्र सेनाओं, अर्ध-सैनिक बलों और पुलिस बलों का आभारी है। हम उन सभी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शहीद हो गए।

मैं चाहूंगा कि आज हम सब मिलकर कल्पना चावला और उनके छः साथी अंतरिक्ष यात्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित करें, जिनका निधन 1 फरवरी को अंतरिक्षयान कोलम्बिया के धरती पर उतरने के कुछ मिनट पूर्व उसमें हुए दुःखद विस्फोट के कारण हुआ। हरियाणा के एक छोटे से कस्बे की इस भारतीय महिला के साहस और दृढ़ निश्चय से भरी जीवन यात्रा, जिसने उसे आकाश गंगा का नागरिक बना दिया, भारतवासियों और भारतवंशियों के लिए गर्व की बात रहेगी। इससे भारतीय युवाओं, खासकर महिलाओं को सपने देखने और अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा भी मिलेगी। मेटसैट सीरीज के उपग्रहों का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखने के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) के कदम का मैं स्वागत करता हूं।

राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना अपनाए जाने के पश्चात्, संसद का यह प्रथम सत्र है। इस योजना का उद्देश्य, रोजगार-सृजन और इक्विटी पर अधिक जोर देते हुए, त्वरित आर्थिक विकास करना है। इस योजना अवधि के दौरान इसमें सकल घरेलू उत्पाद में औसत 8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ-साथ, 5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार और स्वरोजगार अवसर सृजन का भी लक्ष्य रखा गया है। योजना में पूर्णत: स्पष्ट किया गया है कि ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य क्यों प्राप्त किए जाने चाहिएं। दसवीं योजना पूर्ववर्ती योजनाओं से, इस दृष्टि से अलग है कि यह संसाधन योजना ही नहीं, वरन सुधार योजना भी है। राज्य सरकारों को सुधार संबंधी प्रोत्साहन देकर, इसमें खासतौर पर आर्थिक सुधार के क्षेत्र को बढ़ाया गया है। सिविल सेवा, न्यायपालिका, शिक्षा और इन सबसे ऊपर, केन्द्र, राज्य और पंचायती राज संस्थाओं—सभी स्तरों पर शासन में सुधार के माध्यम से त्वरित विकास में आने वाली अनेक गैर-वित्तीय बाधाओं को दूर करने की स्पष्ट अनिवार्यता परिलक्षित की गई है ताकि इसमें सुधारों के एजेंडा को व्यापक बनाया जाए। मैं संघ और राज्य सरकारों का ध्यान इस योजना दस्तावेज में दी गई उस विस्तृत सूची की ओर दिलाना चाहूंगा, जिसमें 10वीं योजना के लक्ष्यों व उद्देश्यों को मूर्त रूप देने के लिए आवश्यक विधायी एवं प्रशासकीय उपाय दिए गए हैं।

दसवीं योजना एक और कारण से भी महत्वपूर्ण है। कोई भी राष्ट्र तब तक महान नहीं बन सकता, जब तक कि वह एक ऊर्जान्वित संकल्पना के मार्गदर्शन से अपनी क्षमताओं का पूरा-पूरा उपयोग नहीं करता। प्रधानमंत्री ने, पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अपने अभिभाषण में 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में तब्दील करने के लक्ष्य की तरफ अग्रसर होने के लिए जनता का आह्वान किया था। इस संकल्पना में जनता का आत्मविश्वास परिलक्षित होता है, जिसका मूल अनेक क्षेत्रों में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में निहित है। साथ ही, इसमें नई सदी के आरंभ में हमारी जनता की अपेक्षाएं भी परिलक्षित होती हैं कि भारत को अब गरीब देशों की श्रेणी में गिनने की बात तो दूर बल्कि हमें विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी से भी ऊपर उठना है। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लगभग 260 मिलियन लोग विकास की मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं। हमारी जनता शत-प्रतिशत साक्षरता, सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी के लिए मकान, ज्ञान-आधारित उत्पादन-क्षमता से समृद्धि तथा रहन-सहन का बेहतर स्तर पाने के लिए उत्कंठित हैं और यह सब हमारे नैतिक मूल्यों से जुड़ा होना चाहिए। अत: भारत ने एक नई संकल्पना तैयार की है, जिसे मैं 'संकल्पना-2020' कहूंगा। मैं चाहूंगा कि हमारी संसद, जो अपनी स्वर्ण जयंती मना रही है, वह इस विषय पर विचार-विमर्श करे। मैं संघ व राज्य सरकारों से भी आग्रह करूंगा कि वे दसवीं योजना को लोकपरक योजना और विकास को जन-आंदोलन बनाने के लिए एक कार्य-योजना बनाएं। इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें दो मंत्रों पर ध्यान देना चाहिए—जनता की भागीदारी के साथ प्रभावी क्रियान्वयन और जनता की भागीदारी के लिए प्रभावी संपर्क।

संकल्पना 2020 की एक मुख्य विशेषता है—'ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना'। भारत की दो-तिहाई से अधिक जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। हमें उनके सशक्तिकरण हेतु एक वृहत मिशन के जरिए उनके सर्वांगीण विकास पर नए सिरे से बल देने की आवश्यकता है। चार महत्वपूर्ण संयोजनों की व्यवस्था करके यह बहुत अच्छी तरह प्राप्त की जा सकती है। ये हैं–अच्छी सड़कें और परिवहन सुविधाएं; गुणवत्तायुक्त ऊर्जा मुहैया कराकर भौतिक संयोजन; विश्वसनीय संचार तंत्र मुहैया कराकर इलेक्ट्रॉनिक संयोजन; और अधिक व्यावसायिक संस्थाएं एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, उच्च गुणवत्ता की अवसंरचना वाले विद्यालय, अध्यापन के प्रति समर्पित अध्यापक, ग्रामीण दस्तकारों के लिए उत्पादन केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनोरंजन केन्द्र, आदि की स्थापना करके ज्ञान संबंधी संयोजन; और मार्किट संयोजन जिससे ग्रामीण जनता के उत्पादों व सेवाओं के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी और उनके लिए रोजगार अवसरों में लगातार बढ़ोत्तरी होगी। यह परिकल्पित नमूना सर्वांगीण पर्यावास के रूप में बनाया गया है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन-स्तर में सुधार होगा और शहरी क्षेत्रों पर जनसंख्या का दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा मेरी सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। पाकिस्तान मूल के आतंकवादियों द्वारा 13 दिसम्बर को हमारी संसद पर किए गए आक्रमण के बाद, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी सेना तैनात करने के लिए हम बाध्य हो गए। इस निर्णय से पड़ोसी विरोधी देश से निपटने में हमारे आत्मसंयम तथा दृढ़ निश्चय दोनों के प्रदर्शन से हमारा प्रयोजन सिद्ध हो गया है। गत वर्ष अक्तूबर में सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने निर्णय लिया कि सशस्त्र सेनाओं को उनके तैनाती स्थलों पर सामरिक नीति के अनुसार दोबारा तैनात किया जाए। ऐसा करते समय, किसी आपात स्थिति में दृढ़तापूर्वक जवाब देने की उनकी क्षमता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया गया है और न ही जम्मू-कश्मीर में चौकसी में कोई कमी की गई।

एक व्यापक नाभिकीय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। इसमें सामरिक परिसम्पत्तियों का अंतिम नियंत्रण नागरिक राजनीतिक कार्यपालिका के हाथों में रखा गया है। अग्नि-1 मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और कर्मचारियों पर देश को गर्व है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की अन्य उपलब्धियों में स्वदेश में विकसित पिनाका, एरिया वेपन सिस्टम, और रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस शामिल हैं–जिसका सफल उड़ान-परीक्षण किया जा चुका है।

वर्ष 2002 में, सीमापार से आतंकवाद की लगातार हुई घटनाओं ने फिर से इस बात को रेखांकित किया कि हमारी आंतरिक सुरक्षा को मुख्य खतरा बाहर से है। निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्याएं; सुरक्षा कार्मिकों के परिवार के सदस्यों को विशेष लक्ष्य के रूप में निशाना बनाना, तीर्थयात्रियों पर हमला—इन

घटनाओं में पाक समर्थित आतंकवादी हिंसा के जुनून के पीछे सोची-समझी चाल थी, लेकिन यह चाल कामयाब नहीं हुई। गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर और जम्मू में रघुनाथ मंदिर पर हुए भड़काने वाले हमलों के बावजूद, हमारी जनता ने शांति बनाए रखी। परन्तु हमें अपने ऐसे शत्रु से सतर्क रहना चाहिए जो अपना भारत-विरोधी रवैया छोड़ने का इच्छुक नहीं है। सीमापार से आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान द्वारा दिए गए आश्वासन भी पूरे नहीं हुए। आतंकवादी संगठनों की अवसंरचना पाकिस्तान में बरकरार है तथा आतंकवादी संगठनों को पैसा भी बराबर दिया जा रहा है।

जम्मू-कश्मीर की नवनिर्वाचित सरकार द्वारा अपने राज्य में शांति, सामान्य स्थिति और आर्थिक विकास लाने के प्रयासों में सहयोग के लिए केन्द्र सरकार पूर्णत: प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने 6,000 करोड़ रु. से भी अधिक लागत की परियोजनाओं एवं स्कीमों की घोषणा की है। इसमें युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों के सृजन तथा आतंकवाद और सीमापार गोलाबारी से प्रभावित विस्थापितों को राहत देने पर बल देने के साथ-साथ, विकास एवं सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को समाविष्ट किया गया है।

उत्तर-पूर्व में शांति बहाल करने के सरकार के संगठित प्रयास अब परिणाम देने लगे हैं। मैं नागालैंड की जनता को विशेष रूप से बधाई देता हूं। शांति के प्रति उनकी तीव्र इच्छा ने इस दिशा में केन्द्र के प्रयासों को बल प्रदान किया है। शांतिवार्ता के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर, मैं बोडो समुदाय को भी बधाई देता हूं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विकास कार्य ने और गति पकड़ ली है। अव्यपगत केंद्रीय पूल के जरिए कई अवसंरचना संबंधी परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। इस पूल के जरिए अब तक 1,500 करोड़ रु. से अधिक की राशि दी गई है। 50 सीटों वाले चार वायुयानों की उड़ानें प्रारंभ करके उत्तर-पूर्व में विमान यात्रा को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी की गई है।

पिछले तीन दशकों में, राज्यों को अपने पुलिस बलों को आधुनिक बनाने के लिए लगभग 550 करोड़ रु. दिए गए। इसके विपरीत, दो वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई पुलिस आधुनिकीकरण योजना में अगले दस वर्षों तक हर वर्ष 1,000 करोड़ रु. का प्रावधान है। जिन राज्य सरकारों ने इस निधि का समुचित उपयोग नहीं किया है, उनसे मेरा आग्रह है कि वे तुरंत सुधारात्मक उपाय करें। अप्रैल से 13 राज्यों में प्रायोगिक आधार पर बहुप्रयोजनीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र परियोजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों की समस्या गंभीर हो गई है और इससे कई राज्य प्रभावित हुए हैं। उत्तर-पूर्व में सक्रिय विद्रोही गुटों द्वारा बांग्लादेश के सीमा क्षेत्र का इस्तेमाल किए जाने की रिपोर्ट मिली है। आई.एस.आई. भी बांग्लादेश में सक्रिय है। इससे घुसपैठ का मुद्दा और भी गंभीर हो जाता है। इस समस्या को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है।

गुजरात में विधान सभा चुनावों ने लोकतंत्र को मजबूत किया है और इस राज्य के इतिहास के एक दु:खद अध्याय का अंत किया है। हमें यह सुनिश्चित करने का संकल्प करना चाहिए कि हमारे देश के किसी भी भाग में कभी भी कोई सांप्रदायिक हिंसा की पुनरावृत्ति न हो। सरकार पंथ-निरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध है।

मेरी सरकार ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि अयोध्या विवाद को या तो दोनों समुदायों के मध्य वार्ता द्वारा सुलझाया जा सकता है अथवा न्यायपालिका के निर्णय द्वारा जिसे सभी संबंधितों को मानना होगा। न्यायपालिका को अपना कार्य तीव्रता से करके शीघ्र फैसला देना चाहिए। राजनीतिक दलों, धार्मिक नेताओं और विशिष्ट सामाजिक व्यक्तियों के लिए भी यह आवश्यक है कि वे परस्पर समझ-बूझ, सद्भाव और अनुकूलता का माहौल तैयार करें।

आर्थिक विकास बढ़ाने के लिए सरकार की सुसंगत एवं समेकित कार्यनीति है। विश्वस्तर पर आयी मंदी के बावजूद, पिछला वर्ष काफी अच्छा रहा, क्योंकि भारत का स्थान तीव्र विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बना रहा। इस वित्त वर्ष के प्रथम नौ महीनों में, भारत का निर्यात 20 प्रतिशत तक बढ़कर, 38 बिलियन अमरीकी डॉलर (81,300 करोड़ रु.) तक पहुंच गया है। अर्थव्यवस्था में सापेक्ष गिरावट के बावजूद, इस वर्ष के पहले नौ महीनों में उत्पाद-शुल्क एवं सीमा-शुल्क से कुल राजस्व 15 प्रतिशत तक अधिक बढ़ा है। मुद्रास्फीति साधारण स्तर पर रही। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 73 बिलियन अमरीकी डॉलर (3,48,429 करोड़ रु.) पार कर चुका है। 14 राज्यों में गंभीर सूखे के बावजूद, खाद्य भंडार की स्थिति संतोषप्रद है और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें काबू में हैं। सकल घरेलू उत्पाद के हाल के अनुमान में गिरावट लगभग पूरी तरह से कृषि उत्पाद में कमी आने की वजह से हुई। इससे एक बार फिर यह बात उभर कर सामने आई है कि सिंचाई में और कृषि उपज बढ़ाने वाले अन्य सभी घटकों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ताकि हमारा कृषि क्षेत्र मानसून पर अत्यधिक निर्भर न रहे।

उप-प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सूखा संबंधी एक कार्य-दल गठित किया गया है। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के तहत अभी तक 1,000 करोड़ रु. से अधिक की राशि राज्यों को दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, राज्यों के आपदा राहत कोष में केन्द्र सरकार का योगदान 1,400 करोड़ रु. से अधिक का है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत काम के बदले अनाज कार्यक्रम के जरिए राहत रोजगार के सृजन हेतु प्रभावित राज्यों को लगभग 5,000 करोड़ रु. मूल्य का लगभग 50 लाख टन खाद्यान्न आबंटित किया जा चुका है।

बार-बार बड़े पैमाने पर मानवीय और आर्थिक क्षति करने वाली सूखे और बाढ़ जैसी समस्याओं का स्थायी हल ढूंढ़ने के लिए राष्ट्र प्रयास करता रहा है। हमारी

नदियों का एक ऐसा नेटवर्क बनाने के विचार पर कई दशकों से जनता का ध्यान रहा है, जिससे अधिशेष जल वाले नदी क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में जल भेजा जा सके। सरकार ने पर्यावरणीय सुरक्षा एवं विस्थापित लोगों के हितों से कोई समझौता न करते हुए, इस परियोजना की व्यावहारिक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्य-दल का गठन किया है। इस प्रयास से पेयजल, सिंचाई ऊर्जा उत्पाद, अंतर्देशीय जल परिवहन एवं पर्यटन के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि इस बृहद परियोजना के कारण स्थानीय स्तर पर जल संरक्षण के लिए लघु कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता समाप्त नहीं हो जाती। यह दोनों परस्पर पूरक हैं।

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् ने एक नई राष्ट्रीय जल नीति अपनाई है। इस नीति में उपलब्ध धरातलीय व भू-जल के इष्टतम और सतत उपयोग के लिए समन्वित जल संसाधन विकास और प्रबंधन पर जोर दिया गया है। केन्द्र ने एक वर्ष में पूरी की जा सकने वाली बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए एक फास्ट ट्रैक कार्यक्रम शुरू किया है। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद बांध की ऊंचाई बढ़ाई गई। इससे सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात के शुष्क क्षेत्रों में पीने के पानी और सिंचाई की समस्या कम हुई है।

दिसम्बर में शुरू किए गए स्व-जलधारा कार्यक्रम से पूरे देश में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति पहल कार्य को बढ़ावा मिला है। यह समुदाय तथा ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित किया जाने वाला भागीदारी कार्यक्रम है। समुदाय पूंजीगत निवेश के लिए 10 प्रतिशत राशि का योगदान करता है तथा 90 प्रतिशत राशि केन्द्र वहन करता है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस कार्यक्रम के इस संदेश, 'दस कदम आप चलें, नब्बे कदम हम चलेंगे' से देश के सभी भागों में इस कार्यक्रम को अपार समर्थन मिला है। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जल विभाजक कार्यक्रमों के समन्वित विकास को बढ़ावा देने के लिए 'हरियाली' नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। ग्रामीण एवं शहरी भारत में पानी की गंभीर व बढ़ती हुई कमी को ध्यान में रखते हुए अब उपयुक्त समय आ गया है कि जल संरक्षण और कारगर जल उपयोग को एक जन-आंदोलन के रूप में शुरू किया जाए।

कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों के लिए संस्थागत ऋण तीन वर्ष में लगभग 45,000 करोड़ रु. से बढ़कर लगभग 75,000 करोड़ रु. हो गया है। तीन वर्ष पूर्व प्रारम्भ की गई किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में तीव्र गति से प्रगति हुई है। सितम्बर, 2002 तक 2.7 करोड़ से अधिक कार्ड जारी किए गए। मार्च, 2004 तक इस स्कीम में सभी पात्र किसानों को शामिल कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में काफी प्रगति हो रही है।

जिन राज्यों में गेहूं व चावल की अत्यधिक उपज हुई है, वहां के किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के साथ-साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की नीति से, सरकारी एजेंसियों के पास गेहूं व चावल के भारी स्टॉक जमा हो गए हैं। अत: इस स्थिति को देखते हुए, सरकार खाद्यानों के निर्यात को बढ़ावा दे रही है। दीर्घावधि खाद्य व्यवस्था के लिए निर्यात संबंधी उच्चस्तरीय समिति द्वारा की गई व्यापक सिफारिशों की जांच की जा रही है। मौजूदा नीतियों की भी तत्काल समीक्षा की आवश्यकता है क्योंकि इनके कारण फसल विविधीकरण में बाधा आई है और खाद्य सब्सिडी के स्वरूप को सुव्यवस्थित नहीं किया जा सका है। अत्यधिक खरीद किए बिना, किसानों को अलग-अलग फसलों के लिए सहायता सुनिश्चित करने के लिए भी ऐसा किया जाना जरूरी है।

खाद्य सुरक्षा की हमारी योजना में उर्वरक का महत्वपूर्ण स्थान है। यूरिया के लिए अप्रैल, 2003 से लागू की जाने वाली नई मूल्य निर्धारण नीति में और अधिक पारदर्शिता, कारगरता तथा वित्तीय अनुशासन लाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार उर्वरकों के विपणन और वितरण को नियंत्रण-मुक्त करने के लिए वचनबद्ध है और साथ ही वह यह भी सुनिश्चित करेगी कि अच्छी किस्म के प्रमुख उर्वरक पर्याप्त मात्रा में देश में उपलब्ध रहें ताकि वे सभी राज्यों में किसानों को उचित कीमतों पर मिल सकें।

हाल ही में, चीनी उद्योग के सामने गम्भीर कठिनाइयां आई हैं, जिससे गन्ना उत्पाद किसानों को समय पर अदायगी करने में चीनी फैक्ट्रियों की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। चीनी मिलों की आर्थिक-क्षमता सुनिश्चित करने के साथ-साथ, गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। कृषि में विविधीकरण के लिए बागवानी को प्रमुख क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज स्कीम अच्छे ढंग से कार्य कर रही है और इसमें 28 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता सृजित की गई है। ग्रामीण गोदामों के निर्माण, नवीकरण तथा विस्तार की एक नई ग्रामीण भंडारण योजना आरम्भ की गई है। इस योजना से, छोटे व सीमांत किसानों को अपनी फसल बाध्यतावश नहीं बेचनी पड़ेगी। एक नई राष्ट्रीय सहकारी नीति की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय बीज नीति को अंतिम रूप दिया जा चुका है। पिछले वर्ष शुरू की गई एग्रीक्लीनिक और एग्रीबिजनेस सेंटर स्कीम के तहत, भुगतान पर, किसानों को विस्तार सेवाएं मुहैया कराने के लिए, बेरोजगार कृषि स्नातकों की सहायता ली जाती है। कृषि और बागवानी उत्पाद में मूल्य-संवर्धन की आवश्यकता को स्वीकारते हुए, सरकार ने खाद्य

प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। विद्यमान असंख्य नियम-कानून होने के कारण इस क्षेत्र का विकास प्रभावित हुआ है, अत: इनके स्थान पर नया समन्वित खाद्य कानून और संबद्ध विनियम बनाने हेतु सुझाव देने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है।

सुदृढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता बनी हुई है। अन्त्योदय अन्न योजना इस प्रतिबद्धता का ही एक प्रमाण है, जिसके अंतर्गत एक करोड़ निर्धनतम परिवार दो रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं एवं तीन रुपये प्रति किलो की दर से चावल प्राप्त करने के हकदार हैं। केन्द्र आशा करता है कि राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारु रूप से कार्य करने में आने वाली अन्य बाधाओं को शीघ्र दूर करेंगी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आजादी के बाद की सबसे अधिक महत्वाकांक्षी ग्रामीण अवसंरचना परियोजना है। पिछले दो वर्षों के दौरान इसने राज्यों को 7,000 करोड़ रु. से अधिक मंजूर किए हैं जिससे लगभग 20,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो सका है। इस परियोजना के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने तथा इसके क्रियान्वयन में तेजी लाने के नए उपाय करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अप्रैल में अखिल भारतीय पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया जिसमें केन्द्र सरकार से, संविधान में संशोधन करके पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का तीव्र और प्रभावी हस्तांतरण सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्यगण पंचायत स्तर से प्रस्तुत इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर गहन रूप से विचार-विमर्श करें।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना आजादी के बाद की भारत की गौरवमयी सफलताओं में से एक है। स्वतंत्रता के प्रथम 50 वर्षों के दौरान बनाए गए कुल 556 किलोमीटर के चार व छह लेन वाले राजमार्गों की तुलना में, आज, हम प्रतिदिन पांच किलोमीटर लम्बे विश्वस्तरीय राजमार्गों का निर्माण कर रहे हैं। सरकार, 1999-2007 के दौरान लगभग 15,000 किलोमीटर के विश्वस्तरीय राजमार्गों के निर्माण पर प्रतिदिन 20 करोड़ रु. खर्च कर रही है। लगभग 6,000 किलोमीटर सड़कों वाली इस स्वर्णिम चौमार्गीय परियोजना का कार्य कई स्थानों पर अपनी नियत समयावधि से आगे चल रहा है। 18,000 करोड़ रु. से अधिक मूल्य के ठेके, जिसमें अधिकतर ठेकेदार भारतीय हैं, पहले ही दिए जा चुके हैं। यह परियोजना पहले ही 2.5 लाख निर्माण कामगारों तथा 10,000 पर्यवेक्षकों के लिए दैनिक रोजगार का सृजन कर रही है। इसका प्रथम चरण पूरा होने पर यह रोजगार के 18 करोड़ श्रम दिवस सृजित कर चुकी होगी। भारत के सीमेंट और इस्पात उद्योग को भरपूर बढ़ावा देने के साथ-साथ, आशा है कि अकेले स्वर्णिम चौमार्गीय परियोजना से ईंधन व

वाहन रख-रखाव लागतों पर 8,000 करोड़ रु. की वार्षिक बचत होगी। मेरी राय में, इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमने यह विश्वास प्राप्त कर लिया है तथा विश्व को दिखा दिया है कि भारत अब बड़ी परियोजनाओं के बारे में सोच सकता है तथा उन्हें रिकॉर्ड समय में पूरा भी कर सकता है।

सरकार ने, देश की प्रमुख परिवहन अवसंरचना, भारतीय रेल, को तीव्र विकास के मार्ग पर लाने के लिए विभिन्न प्रयास शुरू किए हैं। राष्ट्रीय रेल विकास योजना के नाम से गैर-बजटीय निवेश के क्षेत्र में नई पहल की गई है। इसमें अगले पांच वर्षों में 15,000 करोड़ रु. के निवेश की परिकल्पना की गई है। जम्मू-कश्मीर में उधमपुर से बारामूला तक रेल लाइन के निर्माण के लिए 3,500 करोड़ रु. से अधिक की लागत वाली एक प्रमुख परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कश्मीर घाटी में पहली रेलगाड़ी 15 अगस्त, 2007 से पूर्व चलने लगे। लगभग 40,000 करोड़ रु. की लागत वाली विचाराधीन कुल परियोजनाओं में से, अगले दस वर्षों के भीतर, सभी व्यवहार्य स्वीकृत रेल परियोजनाओं को पूरा करने की योजना भी बनाई जा रही है। अपनी मियाद पूरी कर चुकी परिसंपत्तियों के नवीकरण के लिए तथा सुरक्षा बढ़ाने संबंधी कार्यों के लिए 17,000 करोड़ रु. का अव्यपगत विशेष रेल सुरक्षा कोष बनाया गया है।

पोत परिवहन और बंदरगाह विकास कार्य में सुदृढ़ता से सुधार हो रहा है। वर्ष 2002 में, प्रमुख बंदरगाहों की कुल कार्गो हैंडलिंग क्षमता पिछले वर्ष के यातायात की तुलना में अधिक रही। भारतीय बंदरगाहों पर अब क्षमता संबंधी बाध्यताएं नहीं रहीं जिनके कारण वहां भीड़भाड़ हो जाती थी। जहाजों के टर्न-अराउण्ड में भी अब अधिक समय नहीं लगता। निजी क्षेत्र से निवेश जुटाने के अपने सतत प्रयास में, सरकार ने कंटेनर टर्मिनल के संचालन के लिए तीन प्रमुख परियोजनाओं की पेशकश की है।

सरकार का इरादा जल्दी ही एक नई नागर विमानन नीति लाने का है, जिससे इस क्षेत्र में उदारता आएगी, व्यवस्थित प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होगी, निवेश बढ़ेगा तथा हमारे विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण होगा, ताकि यात्रियों को कम कीमत पर, विश्वस्तरीय सेवाएं मुहैया कराई जा सकें।

भारत में दूरसंचार सेवाओं की उल्लेखनीय विकास दर, इस क्षेत्र का वृहद आकार, गुणवत्ता में अप्रत्याशित सुधार तथा शुल्क में भी इतनी ही अप्रत्याशित कमी, ये सब अभी पिछले कुछ वर्षों से देश की प्रमुख उपलब्धियां रही हैं। यह ऐसा क्षेत्र है जहां सुधारों के लाभ आम आदमी तक सीधे पहुंचे हैं। कुछ वर्ष पहले तक, टेलीफोन लेने के लिए लोगों को इन्तजार करना पड़ता था। आज, अनेक टेलीफोन कंपनियां लोगों को अपने टेलीफोन देने की होड़ में लगी हुई हैं। अप्रैल, 1999 और

अक्तूबर, 2002 के बीच, 1.67 लाख गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन मुहैया करा दिए गए हैं, फलस्वरूप, 85 प्रतिशत गांव इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। मोबाइल फोनों की संख्या, जो अप्रैल, 1999 में 14 लाख थी, अब बढ़कर एक करोड़ से भी अधिक हो गई है। मोबाइल फोन अभी कुछ वर्ष पहले तक ऐश्वर्य का प्रतीक था, जो अब आम आदमी के सशक्तिकरण का वहनीय साधन बन गया है। दूरसंचार क्रांति ने देश में डाक सेवाओं को भी सशक्त बनाया है। भारत में डाकघर नेटवर्क, अपनी प्रमुख डाक सेवाओं को आधुनिक बनाने के साथ-साथ, अनेक नई मूल्य-संवर्धित सेवाएं प्रदान करने की ओर भी अग्रसर है।

राष्ट्र के गौरव के रूप में उभर कर आया भारत का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद सही ढंग से कार्य कर रहा है। पिछले वर्ष के दौरान 7.8 बिलियन अमरीकी डॉलर के सॉफ्टवेयर का निर्यात किया गया। इस वर्ष इसके 10 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की आशा है। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाओं में भी बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होने लगे हैं। मैं, अपने सभी प्रतिभावान सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायियों तथा उद्यमियों को न केवल राष्ट्र के लिए धन सृजित करने बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए भी बधाई देता हूं।

मीडिया और प्रसारण क्षेत्र में अनेक नई पहलें की गई हैं। उपभोक्ताओं को पर्याप्त विकल्प देने के लिए सरकार ने पे-चैनलों के लिए कंडीशनल एक्सेस सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। शीघ्र ही यह चार महानगरों में लागू हो जाएगा। दूरदर्शन और आकाशवाणी को सशक्त किया जाएगा ताकि वे प्रसारण की सार्वजनिक सेवा के अपने दायित्व को प्रभावी ढंग से निभा सकें। शैक्षिक और विकासपरक संचार को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक और कैम्पस रेडियो स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। गहन परिचर्चा के बाद, समाचारों एवं समसामयिक विषयों से संबंधित भारतीय प्रिंट मीडिया में 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के लिए नीति में परिवर्तन किया गया है। तथापि, इस संबंध में समुचित सुरक्षा उपाय किए गए हैं। भारत के बढ़ते हुए मनोरंजन क्षेत्र के हितों की सुरक्षा के लिए, चोरी रोकने के प्रभावी उपाय किए जाएंगे।

विगत कुछ वर्षों में, देश में आवास निर्माण के क्षेत्र में एक क्रांति हुई है, जिसका श्रेय मिलेजुले रूप में, सरकार द्वारा की गई पहल और ग्रह निर्माण ऋण के ब्याज की निरंतर घटती दरों को जाता है। मुझे आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि जहां हुडको ने गृह निर्माण के लिए 1970 से 1998 तक लगभग 11,000 करोड़ रु. स्वीकृत किए थे, गत चार वर्षों में उसके द्वारा स्वीकृत राशि इससे भी अधिक है। इसने, इस सरकार के बनने के बाद से अब तक, निर्धन और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के लिए 60 लाख से अधिक मकानों के निर्माण के लिए ऋण स्वीकृत

किए हैं। अन्य सरकारी और गैर-सरकारी आवास वित्त कंपनियों ने भी इस दिशा में अच्छा योगदान दिया है। वाल्मीकि-अम्बेडकर आवास योजना का लक्ष्य शहरी झोपड़पट्टी वालों के रहन-सहन के स्तर में सुधार लाना है, जिसका खुले दिल से स्वागत किया गया है। शहर के स्तर पर आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए एक चुनौती कोष शीघ्र स्थापित किया जाएगा। सरकार ने रक्षा कार्मिकों के लिए 17,000 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वाली पारिवारिक आवास निर्माण की एक वृहत परियोजना को सिद्धांतत: स्वीकृति दे दी है जिसके प्रथम चरण के लिए 5,500 करोड़ रु. लागत की मंजूरी दी जा चुकी है। दिल्ली मैट्रो के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक आरम्भ किए जाने से जनता में काफी गौरव और उत्साह की भावना जागृत हुई है। मैं उन सभी को बधाई देता हूं जिन्होंने बड़ी सावधानी से इस योजना को कार्यान्वित किया। एक शहरी परिवहन नीति तथा अन्य शहरों में मैट्रो रेल के निर्माण की योजनाएं विचाराधीन हैं।

विकास प्रक्रिया में विद्युत प्रमुख प्रेरक शक्ति है। अच्छी बात यह है कि विद्युत क्षेत्र में सुधारों के धीरे-धीरे सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। अब तक, 18 राज्यों ने, त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली में विद्युत वितरण के निजीकरण से आपूर्ति में पहले ही सुधार आ चुका है। शुल्क निर्धारण व्यवस्था को युक्तियुक्त बनाने के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का गठन किया गया है। साथ ही, 21 राज्यों में राज्य विद्युत विनियामक आयोगों का गठन किया गया है। व्यापक विद्युत विधेयक संसद के समक्ष अनुमोदनार्थ है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम भी अच्छी तरह चल रहा है। ऊर्जा सक्षमता ब्यूरो स्थापित किया जा चुका है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकारी भवनों में 30 प्रतिशत ऊर्जा की बचत संबंधी योजना, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय में उचित रूप से तथा वास्तव में शुरू हो चुकी है।

अधिकतम आत्मनिर्भरता हमारी ऊर्जा सुरक्षा कार्यनीति का आधार है। अभी तक, नई अन्वेषण लाइसेंसीकरण नीति के अंतर्गत बोलियों के तीन दौर पूरे हो चुके हैं तथा 70 ब्लाकों का कार्य सौंप दिया गया है, जिसमें लगभग 3 बिलियन अमरीकी डालर (14,500 करोड़ रु.) का निवेश हुआ है। चौथे दौर की योजना तैयार है। यह नीति विस्तार और विशेषकर गहरा जल क्षेत्रों में विदोहन को बढ़ाने के अपने उद्देश्यों में सफल हुई है। इस नीति के तहत अनेक स्थानों पर बहुत सी बड़ी-बड़ी खोजों से सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। पहली बार, कोयला संस्तर मीथेन एवं उसका उत्पादन करने के लिए आठ ब्लाक दिए गए हैं। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने वियतनाम अपतटीय गैस परियोजना से अपना पहला गैस उत्पादन शुरू कर दिया है। हाल ही में, कच्चे तेल पर रॉयल्टी की दर को पूर्व प्रभाव, अर्थात अप्रैल, 1998 से बढ़ा दिया गया है। इससे तेल उत्पादक राज्यों को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो

सकेगा। पेट्रोलियम क्षेत्र में लागू मूल्य प्रणाली को अप्रैल, 2002 से समाप्त कर दिया गया। गृहणियों के लिए भी अच्छी खबर है। पिछले चालीस वर्षों में दिए गए तीन करोड़ सैंतीस लाख गैस कनेक्शनों की तुलना में, पिछले चार वर्षों के दौरान तीन करोड़ तीस लाख गैस कनेक्शन दिए गए।

कोयला, भारत की मुख्य और गौण वाणिज्यिक ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रमुख स्रोत है। अभी तक विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए, आबद्ध खनन आधार पर 27 कोयला खनन खण्डों का कार्य 22 कंपनियों को सौंपा गया है। ऊर्जा पर संसदीय स्थायी समिति ने कोयला खनन राष्ट्रीयकरण (संशोधन) विधेयक, 2000 पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं जिनमें आबद्ध अंतिम उपयोग के प्रतिबंध के बिना, निर्बाध कोयला खनन का कार्य निजी क्षेत्र को सौंपने का प्रावधान है।

पहली अप्रैल को भारत की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था एक प्रमुख लक्ष्य को पार कर लेगी। हमारे सभी राज्य कर वसूली की एक समान प्रणाली अर्थात मूल्यवर्धित कर प्रणाली अपना लेंगे। मूल्यवर्धित कर प्रणाली के लागू करने की प्रारंभिक अवधि के दौरान राज्यों को यह शंका है कि उन्हें इस प्रणाली से राजस्व की हानि होगी। लेकिन इस शंका का यह आश्वासन देकर निराकरण किया गया है कि यदि मूल्यवर्धित प्रणाली लागू करने से राज्यों को राजस्व की कोई हानि होती है, तो भारत सरकार उसकी भरपाई करेगी।

सुव्यवस्थित पूंजी बाजारों और भली-भांति नियंत्रित वित्तीय संस्थाओं से तीव्र आर्थिक विकास के लिए लाभकारी निवेश जुटाने में मदद मिलती है। गत वर्ष निवेशकों का विश्वास बनाए रखने और संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को बहाल करने के लिए सरकार ने कई सुधारात्मक और संवर्धनात्मक कदम उठाए हैं। इनमें वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति प्रवर्तन अधिनियम, 2002 को लागू करना शामिल है जिसमें लेनदारों को ऋण न लौटाने वालों की परिसम्पत्तियां प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। छोटे निवेशकों के हितों को उचित संरक्षण देते हुए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का सफलतापूर्वक पुनर्गठन किया गया है। स्टॉक मार्किट के नियंत्रक सेबी को सुदृढ़ बनाया गया है। हाल में विभिन्न एजेंसियों द्वारा स्टॉक मार्किट 'घोटाला' की जांच की गई जिससे खंडित दृष्टिकोण की सीमाबद्धता उजागर हुई है। ऐसी धोखाधड़ी की तहकीकात के लिए एक 'गंभीर घोटाला जांच कार्यालय' स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। निगमित लेखापरीक्षा और अभिशासन संबंधी नरेश चन्द्र समिति की रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। राष्ट्र की अग्रणी वित्तीय संस्था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सम्मुख आ रही समस्याओं को हल करने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि इसका पुनर्गठन करके इसे एक नियमित निगमित अस्तित्व प्रदान किया जाए। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को निगमित करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया है।

राजकोषीय समेकन की अनिवार्यता के कारण जरूरी हो जाता है कि सार्वजनिक धन का बेहतर ढंग से प्रबंधन किया जाए। ऐसा अधिक राजस्व की वसूली करके और अलाभकारी खर्च पर नियंत्रण करके ही किया जा सकता है। स्थायी, पारदर्शी और कारगर कर-प्रशासन पर ध्यान केन्द्रित करके, कर प्रणाली के पुनर्गठन के जरिए राजस्व में वृद्धि की जा सकेगी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में केलकर समिति की रिपोर्टें ऐसा कर ढांचा तैयार करने में मार्गदर्शक हो सकती हैं। खर्च के बारे में, केन्द्र और राज्यों, दोनों को, अपने राजस्व खर्च को युक्तिसंगत बनाने और अपनी सब्सिडी को बेहतर तरह से लक्षित करने की आवश्यकता है। हाल ही में गठित बारहवां वित्त आयोग, इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करेगा।

आर्थिक सुधारों की व्यापक नीति के एक भाग के रूप में विनिवेश प्रक्रिया को सतत गति प्राप्त हुई है। राज्य सरकारें भी इस नीति को अपना रही हैं जिससे यह जाहिर है कि इस प्रक्रिया को व्यवहार में सर्वसम्मति मिली है। विनिवेश से प्राप्त लाभ से लोक ऋण का बोझ कम होता है, जिससे सामाजिक और संरचना संबंधी क्षेत्रों के लिए सरकारी संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान, अभी तक के विनिवेश के तेरह मामलों में से, ग्यारह मामले घाटे में चल रहीं इकाइयों के थे। विनिवेश की प्रक्रियाओं ने पारदर्शिता, कार्यकुशलता, प्रशासनिक सरलता और सम्यक् निर्णय लेने के उद्देश्यों के लिए मानदण्ड स्थापित किए हैं।

उदारीकरण के इस युग में भी संगठित और असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता रहेगी। कर्मचारी भविष्य निधि योजना से 3.7 करोड़ अंशदाता लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत दावों को निपटाने में लगने वाले समय को 30 दिन से कम करके 2-3 दिन करने का एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। राष्ट्र स्तर पर प्रत्येक श्रमिक को एक अलग सामाजिक सुरक्षा संख्या देने की तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी अब ₹50 प्रतिदिन कर दी गई है। दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग ने एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें श्रमिकों से संबंधित अनेक मुद्दे शामिल हैं। इसकी विशिष्ट सिफारिशों पर विभिन्न स्टेक-होल्डर्स के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। इन चर्चाओं के आधार पर, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक व्यापक कानून को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसे संसद के इस सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

वस्त्र उद्योग विश्वव्यापी बाजार की चुनौतियों और धीमी गति से हो रहे आधुनिकीकरण से उत्पन्न समस्याओं से घिरता जा रहा है। अत्याधुनिक मशीनों से युक्त परिधान इकाइयों के लिए नौ-अपैरल पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दे दी गई है। देश में प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाओं में सुधार लाने के लिए अनेक नई योजनाएं अनुमोदित की गई हैं। साथ ही परम्परागत हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों की समस्याओं को एक विशेष पैकेज के मार्फत बड़े पैमाने पर हल करने के प्रयत्न

किए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में हमारे बुनकरों और दस्तकारों को रोजी-रोटी मिलती है।

सरकार ने देश के लघु उद्योग क्षेत्र को मजबूत बनाने और इसे विश्वस्तर पर प्रतियोगी बनाने के लिए नई पहल की है। इसमें प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने, संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने, भारतीय मानक संस्थान प्रमाणीकरण योजना के कार्य क्षेत्र का विस्तार करने, चरणबद्ध रूप में लघु उद्योग क्षेत्र में वस्तुओं के आरक्षण को समाप्त करने, और व्यावहारिक माहौल में लघु उद्योगों का संवर्धन करने की योजनाएं शामिल हैं। कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग प्रणाली के भीतर और बाहर शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए अनेक कार्यक्रम चला रहा है।

नई विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति, 2003 में एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है ताकि ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में भारत एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर सके। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन के प्रति दृष्टिकोण, विद्यमान भौतिक और ज्ञान संबंधी संसाधनों के इष्टतम उपयोग, अभिनव प्रौद्योगिकियों के विकास, बौद्धिक संपदा के सृजन और प्रबंधन तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और लाभों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने का उल्लेख किया गया है। वैज्ञानिक उत्कृष्टता को बढ़ावा और मान्यता देने के लिए 25 लाख रु. का एक भारत विज्ञान पुरस्कार प्रारम्भ किया गया है। जैव-प्रौद्योगिकी में भारत जिस तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है उससे हमें यह विश्वास हो गया है कि हम इसे स्वास्थ्य-देखभाल, खाद्य-सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण आदि की अनेक कठिन समस्याओं के किफायती समाधान खोजने और साथ ही संपदा और रोजगार सृजन के नए अवसर प्राप्त करने के लिए विकसित कर सकते हैं।

भारत का पहला मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। इनसेट-3 सीरीज में आगे छोड़े जाने वाले उपग्रहों से इनसेट प्रणाली की क्षमता में और बढ़ोत्तरी होगी। यह पहले ही एशिया की सबसे बड़ी स्वदेशी संचार उपग्रह प्रणाली है। शिक्षा के लिए एक अलग उपग्रह 'एडुसेट' भी विकसित किया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दूर-चिकित्सा संयोजन का कार्य शुरू किया है। भारतीय दूर-संवेदी उपग्रह निरंतर हमारे संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबंधन के लिए बहुमूल्य आंकड़े देते आ रहे हैं। हाल ही में छह राज्यों के लिए भू-जल की संभावना वाले क्षेत्रों के मानचित्र जारी किए गए हैं जिससे बोरवैल खोदने के लिए स्थलों का पता लगाने में मदद मिलेगी।

भारत के जैव-संसाधनों की प्रचुरता और विविधता हमारे लिए प्रकृति की एक प्रमुख देन है। शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किया गया जैविक विविधता विधेयक, 2002 हमारे जैव-संसाधनों के संरक्षण और लगातार उपयोग की भारत की प्रतिबद्धता के संबंध में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लोगों की भागीदारी से एक महत्वाकांक्षी वनरोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें वन क्षेत्रों की सीमाओं पर बसे सभी 1.73 लाख गांवों में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के कार्यक्षेत्र का काफी विस्तार किया गया है जिससे कि 17 राज्यों में प्रवाहित हो रही 29 नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों के निकटवर्ती 155 कस्बों में कार्य किया जा सके। भारत ने पिछले वर्ष नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन पर युनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के आठवें सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया। दिल्ली घोषणा को सफलतापूर्वक अपनाए जाने से जलवायु परिवर्तनों के प्रति विकासशील देशों की जागरूकता बढ़ाने में सहायता मिली है। भारत, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में अपनाई गई कार्य योजना का स्वागत करता है। यह शिखर सम्मेलन पिछले वर्ष जोहान्सबर्ग में हुआ था।

माननीय सदस्यों, हाल के महीनों में देशभर के हजारों बच्चों के साथ हुई मेरी बातचीत में मैंने पाया है कि उन सभी का यह सपना है कि वे अपने जीवन में कुछ बन पाएं और अपने देश भारत के लिए भी कुछ कर पाएं। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम उनके लिए ऐसा वातावरण तैयार करें जिसमें वे अपने सपनों को साकार कर सकें। हम समेकित बाल विकास सेवाओं के माध्यम से बाल स्वास्थ्य और पोषाहार के बारे में, विश्व में सबसे बड़ा कार्यक्रम चला रहे हैं। आंगनवाड़ी कर्मचारियों द्वारा दी जा रही महत्वपूर्ण सेवाओं को देखते हुए, गत वर्ष अप्रैल से उन्हें दिए जाने वाले मानदेय को लगभग दोगुना कर दिया गया है। जनसांख्यिकीय दृष्टि से अत्यधिक पिछड़े 51 जिलों में राष्ट्रीय पोषाहार मिशन आरंभ किया गया है। एक सांविधिक निकाय, राष्ट्रीय बाल आयोग का भी गठन किया जाएगा जो बच्चों की समस्याओं के निवारण के लिए कार्य करेगा।

सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की राष्ट्रीय वचनबद्धता हमारे इस कदम से परिलक्षित होती है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इस संवैधानिक दायित्व के निर्वहन के लिए हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान को लगभग 5,500 करोड़ रु. के परिव्यय से सफलतापूर्वक आरंभ किया गया है। प्रौढ़ साक्षरता योजनाएं अब देश के लगभग 98 प्रतिशत जिलों में कार्यान्वित की जा रही हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पचास वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसका पुनर्गठन करके विश्वविद्यालय विकास आयोग बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में शीघ्र ही आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। आज मैं

आई.आई.टी. प्रणाली को भी राष्ट्र की उत्कृष्ट सेवा के पचास वर्ष पूरे करने पर बधाई देना चाहता हूं। अपने स्नातकों की गुणवत्ता के लिए इसने विश्व भर में ख्याति प्राप्त की है। चौदह क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेजों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान बना दिया गया है। अल्पसंख्यकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेषरूप से ध्यान दिया गया है। माननीय सदस्यों, यह सर्वविदित है कि सभी स्तरों पर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और प्रबंध में सुधार लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए अनेक ठोस सुधार करने की आवश्यकता होगी। मैं चाहूंगा कि इस पर दोनों सदन चर्चा करें।

आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं के सशक्तिकरण का एक मुख्य पहलू है। महिला संघटक योजना की अवधारणा एक कार्यनीति के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि बजटीय संसाधनों का कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं के लाभ के लिए खर्च किया जाए। मुझे इस संज्ञान से प्रसन्नता हो रही है कि 9वीं योजनावधि के दौरान सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालयों में बजट आबंटन का लगभग 43 प्रतिशत वस्तुतः महिला विशिष्ट अथवा महिलाओं से संबद्ध योजनाओं पर खर्च किया गया है। इस प्रणाली को इस वर्ष और सुदृढ़ किया जाएगा। महिलाओं में स्व-सहायता समूह आंदोलन बहुत सफल सिद्ध हुआ है।

सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 की घोषणा कर दी है। इसका लक्ष्य जनसामान्य में अच्छे स्वास्थ्य की एक स्वीकार्य स्थिति प्राप्त करना है। खराब स्वास्थ्य स्थिति वाले क्षेत्रों में नई अवसंरचना बनाकर तथा विद्यमान संस्थानों की अवसंरचना में सुधार करके विकेन्द्रीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली की उपलब्धता बढ़ाकर ऐसा किया जाएगा। भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी संबंधी एक नई राष्ट्रीय नीति की भी घोषणा की गई है। मलेरिया, काला-अजार, डेंगू, अंधापन तथा कुष्ठ रोग की रोकथाम करने के हमारे प्रयास सही ढंग से जारी हैं। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 1998 में 20 मिलियन लोगों को उपलब्ध उपचार सुविधा अब बढ़कर 560 मिलियन लोगों के लिए उपलब्ध है। सरकार ने, देशभर में एक व्यापक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राज्यों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ अपनी सहभागिता बढ़ाई है। उदारीकरण के युग में सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि मूल औषधियां उचित मूल्यों पर आसानी से उपलब्ध हों। वह हमारे फार्मास्युटिकल उद्योग को और सुदृढ़ करने के लिए व्यापक कदम उठाएगी। हाल के वर्षों में इस उद्योग ने कारगर निर्यात क्षमताएं तथा नई औषधियां विकसित करने में विश्व स्तर पर व्यापक प्रतिस्पर्धा शक्ति हासिल की है।

भारत के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की खराब स्थिति में सुधार करना आवश्यक है, जिससे कि बीमारियों, विशेषकर बच्चों और गरीबों में होने वाली बीमारियों को रोका जा सके। सरकार नागरिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी से शीघ्र

ही एक व्यापक सफाई अभियान शुरू करेगी जिसे रेल, सरकारी भवनों, अस्पतालों तथा सार्वजनिक स्थानों में आरंभ किया जाएगा।

बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई। यह राष्ट्रीय चिंता का गंभीर विषय है। इन चार राज्य सरकारों के साथ निकट संपर्क से केन्द्र ने इस समस्या से निपटने के लिए अधिक ध्यान दिए जाने की योजना बनायी है। यह भी उतनी ही चिंता का विषय है कि देश के विभिन्न विकसित हिस्सों जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जन्मदर का अनुपात अखिल भारतीय औसत से काफी कम है और यह पिछले कुछेक दशकों से घटता ही जा रहा है। संसद ने जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का पता लगाने के संबंध में दण्डात्मक प्रावधानों को और कड़ा किया है। तथापि, सरकारों और सिविल सोसायटी के लिए समय आ गया है कि वे बालिका भ्रूण हत्या और नवजात बच्चियों की हत्या जैसी बुराई के विरुद्ध एक सतत अभियान चलाए। चिंता का दूसरा क्षेत्र यह है कि उत्तर प्रदेश और कुछ राज्यों में पोलियो की बीमारी फिर से उभरी है। इसने भारत को 2001 तक पोलियो मुक्त बनाने के हमारे संकल्प को धक्का पहुंचाया है। 15 राज्यों में हैपेटाइटिस-बी के खतरनाक प्रसार को देखते हुए, बच्चों को आवश्यक टीके लगाने के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

मेरी सरकार का निरंतर प्रयास है कि कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यकों को मुख्यधारा में शामिल किया जाए और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जाए। यह सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है आर्थिक न्याय तथा रोजगारोन्मुखी शैक्षिक सहायता प्रदान करना। इस वर्ष 18 लाख से अधिक अनुसूचित जाति, पांच लाख से अधिक अनुसूचित जनजाति एवं 6 लाख से अधिक पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई। इस वर्ष दसवीं कक्षा के बाद दी जाने वाली दो नई योग्यता-आधारित छात्रवृत्तियां प्रारम्भ की गई हैं। इनमें से एक डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर है दूसरी विकलांग छात्रों के लिए है। विभिन्न वित्तीय एवं विकास निगमों के लिए इस दायित्व की पूर्ति एक चुनौती है।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास पर और अधिक बल देने के लिए अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। ऐसे आयोग का गठन पहले 1960 में किया गया था। इसी तरह, पचास वर्षों के बाद, संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति सूची में त्वरित संशोधन किया गया है। जिसमें 142 समुदायों को सूची में शामिल करना अथवा सूची में से निकाल देना भी शामिल है। अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग को विभाजित करके एक पृथक् राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाने का प्रस्ताव है।

युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा नीति का नया मसौदा तैयार किया है। एक राष्ट्रीय युवा आयोग बनाया गया है। 17वें राष्ट्रमंडल खेलों तथा 14वें एशियाई खेलों में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ी बधाई के पात्र हैं। इस वर्ष के अंत में अफ्रीकी-एशियाई खेल आयोजित करने के निर्णय से देश में खेलों को और प्रोत्साहन मिलेगा। मैं अपने होनहार खिलाड़ियों तथा खेल संस्थाओं से अपील करता हूं कि वे अगले वर्ष होने वाले ओलम्पिक खेलों की तैयारियों में पूरी तरह से जुट जाएं। माननीय सदस्यगण, आइए, हम दक्षिण अफ्रीका में विश्व कप टूर्नामेंट खेल रही भारतीय क्रिकेट टीम को अपनी शुभकामनाएं दें।

चुनाव सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता गत वर्ष प्रारंभ किए गए ठोस विधिक उपायों से प्रदर्शित होती है। इसने दर्शाया कि संसद राजनीति के अपराधीकरण के प्रति जनता की चिंता की ओर ध्यान दे रही है। साथ ही राज्य सभा चुनावों में कथित धन-शक्ति प्रभाव को रोकने के लिए राज्य सभा के चुनावों के संबंध में खुली मतदान व्यवस्था शुरू किए जाने संबंधी लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2001 तथा चुनावों में भ्रष्टाचार तथा धन शक्ति को रोकने के लिए राजनीतिक पार्टियों को चुनाव फण्ड प्रदान करने संबंधी चुनाव एवं अन्य संबद्ध विधि (संशोधन) विधेयक, 2002 संसद के समक्ष विचाराधीन है।

न्यायपालिका में लम्बित मामलों का देरी से निपटान गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। इस स्थिति के निराकरण के लिए, लगभग 500 करोड़ रु. की राशि न्यायिक प्रशासन के लिए विशेष परियोजनाओं तथा उसमें सुधार लाने से संबंधित अनुदान के रूप में आबंटित की गई है। यह इस प्रयोजन के लिए किया गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। कुछ राज्यों में फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित किए जाने से मामले निपटाने में तेजी आई है। जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में, न्यायाधीशों तथा मजिस्ट्रेटों के लगभग 2,000 रिक्त पदों को भरने का सम्मिलित अभियान शुरू किया गया है।

बीते वर्ष में भारतीय संस्कृति के गौरव को पुनर्जीवित करने हेतु बहुत से प्रयास किए गए हैं। प्रत्येक राज्य में कम-से-कम एक संस्कृति-सह-पर्यटन केन्द्र की स्थापना करने की नई संकल्पना उभरी है। संस्कृति व पर्यटन के बीच तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव की गयी जिसके तहत कुछ स्मारकों के समन्वित संरक्षण एवं विकास का कार्य शुरू किया गया है। इन स्मारकों के आस-पास संपूर्ण मूलभूत विकास करने तथा जन सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य व्यापक स्तर पर शुरू किया गया है। कुरुक्षेत्र, लालकिला, अजंता-एलोरा, हम्पी तथा हुमायूं का मकबरा इसके कुछ उदाहरण हैं। आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानन्द तथा महात्मा गांधी के महान यात्रा पथों पर सांस्कृतिक पर्यटन फिर शुरू करने का प्रस्ताव है। पौराणिक सरस्वती नदी के पथ पर परिसरों के विकास का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के 2600 वर्ष पूरे होने के स्मरणोत्सव के

दौरान कई योजनाएं शुरू की गईं। कुरुक्षेत्र में "महाभारत उत्सव" अब प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा। भारत का बहुत-सा प्राचीन ज्ञान देशभर में फैली हुई संस्थाओं अथवा व्यक्तियों के पास बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध पाण्डुलिपियों में सुरक्षित है। एक राष्ट्रीय पाण्डुलिपि पुस्तकालय में इन अमूल्य पाण्डुलिपियों का सर्वेक्षण, सूचीकरण, संरक्षण करने तथा इन्हें एकत्र करने के उद्देश्य से अभी हाल ही में राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन प्रारंभ किया गया है।

मेरी सरकार, हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों का संवर्धन करने तथा उनकी सुरक्षा के लिए भारत की विदेश नीति का उपयोग करने के अपने पुरजोर प्रयासों को जारी रखेगी। विश्व के सभी देशों के साथ अपने सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक संबंधों की शक्ति के आधार पर हम अपने राजनीतिक संबंधों को व्यापक बनाने, अपने आर्थिक सहयोग तंत्र को विस्तृत करने, सामरिक महत्व के परस्पर संबंधों को सुदृढ़ करने तथा नवीनतम प्रौद्योगिकियों के संबंध में सहयोग करने की ओर अग्रसर होंगे।

भारत ने हमेशा अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण तथा सहयोगात्मक संबंध रखने का प्रयास किया है। दुर्भाग्यवश, पाकिस्तान ने लगातार हमारे प्रयासों का जवाब नफरत तथा हिंसा से, सीमा-पार से आतंकवाद की लगातार भारी मुहिम चलवाकर और उस मुहिम में सक्रिय सहयोग देकर दिया है। हाल ही के रहस्योद्घाटनों से पता चलता है कि किस तरह संपूर्ण राजनयिक मर्यादा को दरकिनार करके दिल्ली स्थित राजनयिक मिशन का इस्तेमाल देश में आतंकवादी गुटों के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए किया जा रहा है। हमें संबंधित राजनयिकों के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी, परन्तु हमने साथ ही यह भी कहा कि हम निष्कासित अधिकारियों के स्तर पर दूसरे अधिकारियों को स्वीकार करके अपने राजनयिक प्रतिनिधित्व के स्तर को कायम रखने के इच्छुक हैं। हमारे इस दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है कि सीमापार आतंकवाद समाप्त होने पर ही हम पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए तैयार होंगे।

सार्क को इस क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण तथा समुचित विकास का प्रेरक मानने की भारत की प्रतिबद्धता कायम है। काठमाण्डु घोषणापत्र में उल्लिखित आर्थिक एजेण्डा के महत्वपूर्ण मुद्दों पर शीघ्रता से कार्रवाई करने के लिए हमने निरन्तर प्रयास किए हैं। हम निरंतर यह कहते आ रहे हैं कि यदि इन मामलों में कोई सार्थक प्रगति हो सके तो हम अगले सार्क सम्मेलन में भाग लेंगे।

भारत भूटान के साथ अपने बहुआयामी सहयोग को और बढ़ाना जारी रखेगा। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पारंपरिक संबंधों ने बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ हमारे संबंधों को दिशा दी है। हम म्यांमार में भारतीय सहयोग से विकास परियोजनाओं को भी क्रियान्वित कर रहे हैं। बांग्लादेश के साथ आपसी विचार-विमर्श के दौरान उठे

कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा सुरक्षा मामलों पर भी हम वार्ता कर रहे हैं। पिछले वर्ष सितम्बर में प्रधानमंत्री की मालदीव की यात्रा से उस देश के साथ हमारे सौहार्दपूर्ण संबंध और बढ़े हैं।

नेपाल राजनीतिक परिवर्तनों तथा माओवादी विद्रोह के मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। हमारा मानना है कि बहु-दलीय लोकतंत्र तथा संवैधानिक राजतंत्र नेपाल की स्थिरता, सुरक्षा तथा विकास के लिए दो आवश्यक स्तंभ हैं। हम यह आशा करते हैं कि वर्तमान समस्याएं इसी व्यवस्था के भीतर शांतिपूर्ण तथा सर्वसम्मति के वातावरण में सुलझा ली जाएंगी। हमने श्रीलंका के साथ गहन राजनीतिक संवाद तथा लाभकारी आर्थिक सहयोग कायम रखा है। हम वहां की राजनीतिक समस्याओं के ऐसे हल के लिए किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे जो उस देश की भौगोलिक अखण्डता तथा जनसंख्या के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करें।

भारत व अफगानिस्तान की जनता के बीच मैत्री व सहयोग के घनिष्ठ और ऐतिहासिक संबंधों की परंपरा रही है। हम अफगानिस्तान के अंतरिम प्रशासन के प्राधिकार के विस्तार और सुदृढ़ीकरण का स्वागत करते हैं और वहां की सरकार का पूरा समर्थन करते हैं। बहुत शीघ्र ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भारत के राजकीय दौरे पर आ रहे हैं और हमें उनका स्वागत करने का सुअवसर प्राप्त होगा। भारत अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए व्यापक स्तर पर मानवीय, वित्तीय व परियोजनागत सहायता प्रदान करना जारी रखेगा।

हमने भारत और इस्लामिक गणराज्य ईरान की प्रगाढ़ मित्रता, वहां के राष्ट्रपति को इस वर्ष अपने गणतंत्र दिवस परेड समारोह में मुख्य अतिथि बनाकर, और अधिक सुदृढ़ की है। हम ईरान के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना, सुदृढ़ करना तथा उन्हें विविध स्वरूप देना चाहते हैं। ऊर्जा व पारगमन के क्षेत्रों में इनका बहुत महत्व है।

चीन के साथ भारत के संबंध बढ़े हैं और उनमें विविधता आई है। व्यापारिक और आर्थिक सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। अन्य क्षेत्रों में विश्वास व समझबूझ कायम करने के प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री को इस वर्ष चीन की राजकीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया है और उन्होंने यह आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। हमने भूमण्डलीय भागीदारी के साझे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जापान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करना जारी रखा है। कोरिया गणराज्य के साथ भारत का सहयोग लगातार बढ़ रहा है। हम कोरियाई प्रायद्वीप की घटनाओं पर लगातार नजर रखे हुए हैं। इन रिपोर्टों से गंभीर चिंता उत्पन्न हुई कि कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य ने पाकिस्तान से प्राप्त प्रौद्योगिकी की सहायता से परमाणु हथियार बनाने की योजना फिर से शुरू कर दी है। यह चिंता, सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों और उन दोहरे मानदंडों के संबंध में उत्पन्न हुई है जिन्हें बहुत से देशों ने संधि के दायित्वों और परमाणु प्रसार के मुद्दों के बारे में अपनाया है।

दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के पारंपरिक रूप से चले आ रहे गहरे संबंध हाल ही की द्विपक्षीय वार्ताओं और प्रधान मंत्री की कंबोडिया, लाओस व थाइलैंड की राजकीय यात्राओं से प्रतिबिंबित हुए हैं। जब नवंबर, 2002 में आसियान के साथ हमारी शिखर स्तर पर वार्ता हुई तब इस क्षेत्र के साथ हमारे संबंधों को एक नया आयाम मिला। नोम पेन्ह में भारत-आसियान शिखर वार्ता में तय की गई आर्थिक योजनाओं के संबंध में हम अच्छी प्रगति कर रहे हैं।

हाल ही के राजनीतिक व आर्थिक घटनाक्रम में विचारों की समानता से मध्य एशिया के साथ भारत के गहरे संबंध और भी बढ़ गए हैं। भारत व मध्य एशियाई देशों की, आतंकवाद, उग्रवाद व मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से निपटने के संबंध में समान सोच है, ये बुराइयां हमारे सभी पड़ोसी क्षेत्रों में फैली हुई हैं।

खाड़ी क्षेत्र का भारत के लिए बहुत महत्व है। यह क्षेत्र भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने का एक मुख्य स्रोत है और व्यापार एवं निवेश में प्रमुख आर्थिक भागीदार है। खाड़ी देशों के आर्थिक विकास में 3.5 मिलियन से भी अधिक भारतीय योगदान कर रहे हैं। पारस्परिक संपर्क से ये बहुआयामी और विविध स्वरूप वाले संबंध निरंतर मजबूत किए जा रहे हैं।

इराक से संबंधित दु:खद स्थिति पर संपूर्ण विश्व की चिंता में हम भी शामिल हैं। उस क्षेत्र की शांति, स्थायित्व व सुरक्षा में हमारी गहरी रुचि है। हम आशा करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के जरिए प्रकट की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बुद्धिमत्ता से इस मामले का ऐसा शांतिपूर्ण समाधान कर लिया जाएगा जो मानवता के लिए हितकर होगा।

मेरी सरकार भारत व रूसी संघ के बीच सामरिक महत्व की भागीदारी को बहुत महत्व देती है जो लगातार राजनीतिक परामर्शों, बहुआयामी आर्थिक सहयोग तथा गहन रक्षा सहयोग से और भी बढ़ी है। राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन के पिछले वर्ष भारत की राजकीय यात्रा के समय आतंकवाद के विरुद्ध किए जाने वाले संघर्ष में सहयोग पर हमने समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए।

यूरोपीय देशों के साथ भारत के संबंध व्यापक व घनिष्ठ बने रहे। क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर नियमित रूप से विचारों का आदान-प्रदान करने से ये देश हमारे जायज सरोकारों को बेहतर रूप से समझ सके हैं और इससे हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और भी प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिली है। कोपनहेगन में भारत-यूरोपीय संघ की शिखर वार्ता से यूरोपीय संघ के साथ हमारे संस्थागत सम्पर्क सुदृढ़ हुए हैं तथा इस वर्ष के उत्तरार्द्ध में, भारत में आयोजित होने वाली अगली शिखर बैठक से ये सम्पर्क और भी बढ़ेंगे।

भारत और अमेरिका के बीच निरन्तर नए संबंध बन रहे हैं। दोनों देश यह मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व सामरिक महत्व के स्थापत्य के समक्ष दिनों-दिन बढ़ती जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए उनके द्विपक्षीय संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन आना चाहिए। दोनों देश परस्पर हितों के बहुपक्षीय सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर द्विपक्षीय विचार-विनिमय करने की दिशा में भी प्रयासरत हैं।

हमारे राजनयिक संबंधों में अफ्रीका का विशेष महत्व बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इस महाद्वीप के देशों की संख्या सबसे अधिक है और भारत के आर्थिक भागीदार के रूप में इसका महत्व भी बढ़ता जा रहा है।

लेटिन अमेरिका व कैरिबियाई देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध उल्लेखनीय रूप से बढ़े हैं। वर्ष 1997 से शुरू किए गए "फोकस एलएसी" कार्यक्रम के परिणामस्वरूप भारत के सरकारी व गैर-सरकारी क्षेत्र का ध्यान इस क्षेत्र की ओर बढ़ा है।

जनवरी में आयोजित प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मेलन समारोहों में विदेशों में बसे भारतीय समुदाय के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के सरकार के सतत प्रयासों को उजागर किया गया है। इस अवसर पर, हमने भारतीय मूल के दस ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित किया जिन्होंने उन देशों में जहां वे रच-बस गए हैं ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जिनसे हमारे देश का गौरव बढ़ा है। सरकार ने कतिपय देशों में बसे भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता देने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए आवश्यक कानून इस सत्र में लाया जाएगा।

माननीय सदस्यगण, यह हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि संसद ने अपने शीतकालीन सत्र में विधायी कार्य करने में अति उत्कृष्टता दर्शायी है। इस सत्र के दौरान, दोनों सदनों ने लगभग 42 विधेयक पारित किए और मैंने उन सभी पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। सरकार ने पिछले वर्ष अनेक विधेयक प्रस्तुत किए। इनमें से 93 विधेयक पारित किए जा चुके हैं, जिनमें महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन भी शामिल हैं। पिछले 25 वर्षों में, पहली बार एक वर्ष में और 1947 के बाद से तीसरी बार, इतनी अधिक संख्या में विधेयक कार्यान्वित किए गए। रेल बजट और आम बजट से संबंधित वित्तीय कार्यसूची के अलावा, इस सत्र में बहुत से विधिक कार्य पूरे किए जाने हैं। मैं आशा करता हूं कि संसद के बजट सत्र, और आगामी सभी सत्र, पिछले सत्र की तरह ही सार्थक सिद्ध होंगे।

मैं आपके प्रयासों की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं।

जय हिन्द।